

शी. 11-25

अधिवक्ता अपीलान्त इफ्त) अधिवक्ता अपीलान्त  
पूर्वादेशो की पालना हेतु को अपसर दिर  
जा चुके हैं। किन्तु आदिनांक तक सम्मन  
पेश नहीं किए हैं। अतः उक्त अपील अदम  
तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली  
वसी मुताबिक बाफ तकमील होकर सूब्या से  
एक कम लोक दखिर पत्र हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली